न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 128/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/254

प्रार्थी :–
गुदड़राम पुत्र बालाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. गणपतराम प्रजापत पुत्र हड़मानराम
2. तुलछीदेवी पत्नि हड़मानराम
3. पाचाराम प्रजापत पुत्र हड़मानराम
4. बाबुलाल पुत्र हड़मानराम
5. सहीती पुत्री हड़मानराम
6. विमला पत्नि पांचाराम

सभी जातियान कुम्हार (प्रजापति) सभी निवासीगण साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

7. तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मोहम्मद फारूख खान की ओर से
श्री मन्सुर अली छीपा अप्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 21.06.2023

''आदेश''

दिनांक : 28.05.2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम साथीन चक 2 पटवारी हल्का साथीन द्वितीय भू. अभिलेख निरीक्षक साथीन तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1794/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम आई हुई थी जिसको आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। खसरा नम्बर 1794/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि के साथ साथ अन्य खसरान जो पूर्व खातेदार भूराराम पुत्र जसाराम, फुली बेवा जसाराम, गुडदड़राम, पुखाराम पिसरान बालाराम के खातेदारीसुदा खसरान का सभी खातेदारान ने राजस्व केम्प कोसाणा दिनांक 23.12.1988 को बंटवाड़ा प्रस्तुत किया था जो राजस्व केम्प कोसाणा में दिनांक 23.12.1988 को बंटवाड़ा होकर वादग्रस्त खसरा नम्बर 1794/2 प्रार्थी गुदड़राम के हक व हिस्से में जरिये बंटवाड़ा सम्पूर्ण खसरा प्राप्त हुआ था जिसका बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड के नामान्तरकरण सं. 1259 में अंकित है जिसके म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश हैं। प्रार्थी ने अभी हाल ही में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी नकल प्राप्त की जिसमें प्रार्थी के खसरा नम्बर 1794/2 को वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1794/2 ही दर्शाया नही गया हैं व प्रार्थी के बंट की भूमि खसरा

28/5/24

उपखण्ड अधिकारी
... शहर

नम्बर 1794/2 है वर्तमान जमाबन्दी व कम्प्युटर जमाबंदी में नही दर्शा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाना पड़ेगा । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम साथीन चक द्वितीय में स्थित प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1794/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम की भूमि का रेकर्ड दुरूस्त फरमाते हुए खसरानम्बर 1794/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम वर्तमान कम्प्युटर जमाबंदी व वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी में प्रार्थी के खसरे को प्रार्थी के खाते में पुनः इन्द्राज करने का आदेश फरमावें एवं उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से वकील मन्सुर अली छीपा ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जो निम्न प्रकार हैं – ग्राम साथीन चक द्वितीय में खसरा संख्या 1794/2 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा भूमि आई हुई है जो जमाबंदी संवत 2058 से 2061 से प्रमाणित है उक्त कथन स्वंय प्रार्थी साबित करे। खसरा संख्या 1794/2 में रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा भूमि उसके हक व बंट में बंटवाडा दिनांक 23.12.1988 के अनुसार आई जो नामांतरण संख्या 1259 में अंकित है। प्रार्थी ने अंकन किया की वर्तमान जमाबंदी में खसरा संख्या 1794/2 दर्शित नहीं हो रहां है इसलिए राजस्व रेकर्ड में शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना बताया। इस संदर्भ में अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की और से जवाब है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट के तहत चलने योग्य नहीं है क्योंकि यदि प्रार्थी का खसरा संख्या 1794/2 राजस्व नक्शे में दर्शित नहीं हो रहा है व जमाबंदी में दर्शित नहीं हो रहां है तो वह किसी चौसाला जमाबंदी की त्रुटि है। प्रार्थी ने नहीं बताया है तथा किसी भी प्रकार से नक्शे में तरमीम नहीं है तो तरमीम शुद्धि के लिए धारा 131 का प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने न्यायालय हाजा से असल तथ्य छुपाये है अप्रार्थी संख्या 07 द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार खसरा संख्या 1794 मूल वक्त सेटलमेट से 10 बीघा 17 बिस्वा का था। लेकिन बंटवाडा दिनांक 23.12.1988 में खसरा संख्या 1794 को 20 बीघा 17 बिस्वा अंकित कर दिया गया व बंटवाडा कर दिया गया यानि बंटवाडे में खसरा बढाकर बंटवाडा करने से बंटवाडा दूषित हुआ जिसे निरस्त करने की कार्यवाही प्रार्थी ने नहीं की है। न ही खातेदारी घोषणा का दावा किया है। खसरा संख्या 1794 के खातेदार गीगाराम, जसाराम, बालाराम पिसरान मगनाराम के नाम से वक्त सेटलमेट से इन्द्राज था यानि गीगाराम का 1/3 हिस्सा, जसाराम का 1/3 हिस्सा व बालाराम का 1/3 हिस्सा था। गीगाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामांतरण के जरिये गीगाराम का 1/3 हिस्सा हडमानराम को विरासत में पुत्र होने से प्राप्त हुआ। व जसाराम के फौत होने पर उसका 1/3 हिस्सा भुराराम पुत्र जसाराम व फुलीदेवी पत्नि जसाराम को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ तथा हडमानराम ने भुराराम व फुलीदेवी

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

से उनका 1/3 हिस्सा पंजीबद्ध बैचान के जरिये खरीद कर लिया इस प्रकार खसरा संख्या मूल 1794 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में हडमानराम का 2/3 हिस्सा निहित हुआ जो हडमानराम प्राप्त करने का अधिकारी है। बालाराम का खसरा संख्या 1794 में 1/3 हिस्सा फौत होने पर उनके पुत्र पुखाराम व गुदडराम को प्राप्त हुआ। वर्तमान में खसरा संख्या 1794 में हडमानराम के नाम 04 बीघा 11 बिस्वा भूमि इन्द्राज है जिसके स्थान पर 03 बीघा 12 बिस्वा भूमि इन्द्राज होनी चाहिए क्योकि मूल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा के अनुसार 1/3 हिस्सा पुश्तैनी रूप से बनता है। तथा खसरा संख्या 1794/1 जो कि भूराराम व फुली के नाम इन्द्राज था जो भुराराम व फुली से खरीद करने के बाद हडमानराम के नाम इन्द्राज हुआ इसलिए खसरा संख्या 1794/1 में 03 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर 03 बीघा 12 बिस्वा इन्द्राज होना चाहिए जो कि मूल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा के अनुसार 1/3 हिस्सा होता है। तथा गुदडराम व पुखाराम के नाम से संयुक्त रूप से खसरा संख्या 1794 में 1/3 हिस्से के अनुसार 03 बीघा 13 बिस्वा भूमि बनती है जो अलग अलग दर्ज की जाती है तो खसरा संख्या 1794/2 गुदडराम के नाम 01 बीघा 16 बिस्वा दर्ज होनी चाहिए व खसरा संख्या 1794/3 पुखाराम के नाम 01 बीघा 17 बिस्वा दर्ज होनी चाहिए। भूमिघारी तहसीलदार पीपाड शहर ने अपने जवाब में जो अनुपातिक हिस्से दर्शाये है जो पूर्णत गलत है। सेटलमेट के अनुसार अंकित हक व हिस्से अनुसार बंटवाडा नहीं दर्शाया है तथा अप्रार्थी हडमानराम के वारिसान का हिस्सा कम दर्शित किया है यानि खसरा संख्या 1794 में 03 बीघा 12 बिस्वा पुश्तेनी भूमि 1/3 हिस्सा आती है उसके स्थान पर 02 बीघा 07 बिस्वा दर्शाया है जो कि गलत है। तथा 1794/1 में 01 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा दर्शाया है जो कि गलत है जबकि 03 बीघा 12 बिस्वा भुराराम व फुली देवी से खरीद करने के कारण 1/3 हिस्सा मुल रकबे के अनुसार होना चाहिए इसलिए भूमिघारी तहसीलदार का जवाब राजस्व रेकर्ड से परे है जो गलत है। वर्तमान में हडमानराम का देहांत होने से खसरा संख्या 1794 व 1794/1 के अप्रार्थी संख्या 01 से 05 खातेदार है व मालिक है। खसरा संख्या 1794 में श्रीमती विमला देवी अप्रार्थी संख्या 06 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट के तहत मान्य नहीं है क्योकि बंटवाडा दिनांक 23.12.1988 में 10 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 20 बीघा 17 बिस्वा का बंटवाडा कर दिया गया इसलिए या तो वापस बंटवाडा हेतु प्रार्थी को चाराजोही करनी चाहिए या खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत करना चाहिए अन्य कथन उपर पदों में वर्णित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है जो राजस्व रेकर्ड से परे होने से खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया कि राजस्व रेकर्ड में पुराने सही रकबा जो मिसल बन्दोबस्त में दर्ज था आनुपातिक रूप से इन्द्राज किये जाने की अभिशंषा की हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, पत्रावली का अवलोकन किया वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथ्यों का गहन अध्ययन किया । उपरोक्तानुसार यह निर्धारित किया जाता हैं कि वक्त बंटवाड़ा 23.12.1988 को पेश बंटवारा प्रस्ताव में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1794 मूल का रकबा 10.17 बीघा के स्थान पर लिपिकिय त्रुटिवंश 20.17 के आधार पर बंटवाड़ा निष्पादित किया गया जो सही नही होने से उसे शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर वक्त बंटवाड़ा 1794 मूल के रकबे को 10.17 मानते हुए सभी पक्षकारो के हिस्से शुद्ध कर 1794 से बने सभी खसरो में हिस्सा व रकबा शुद्धि करें। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 काबिल स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है न्यायालय हाजा में दर्ज प्रार्थना पत्र सं. 127/2023 GCMS No. 2023/255 को भी इसी निर्णय का भाग समझा जावें। सभी खातेदारो का हिस्सा शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तद्नुसार तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु तहरीर जारी हों। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर